FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0005 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/05/2026 17:27 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 29/04/2026 **Date To (दिनांक तक):** 12/05/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 12:30 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/05/2026 **Time (समय):** 16:37 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 012 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/05/2026 16:37 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 12 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Kunjpura,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** विकाश शर्मा

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री कृष्ण शर्मा

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1982 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**गाँव खराजपुर, KUNJPURA, KARNAL, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**गाँव खराजपुर, KUNJPURA, KARNAL, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9050001905

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार			1. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग,खण्ड कुन्जपुरा करनाल, KUNJPURA,KARNAL,HARYANA ,INDIA
2	AFSO राजीव कुमार			1. खाद्य एवं आपुर्ति विभाग करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, इन्सपैक्टर साहब, विजीलैन्स कुरूक्षेत्र, श्रीमान जी, निवेदन है कि मै विकाश शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी गाँव खराजपुर, थाना कुन्जपुरा, जिला करनाल का रहने वाला हूँ मेरी पत्नी रजनी शर्मा के नाम से गाँव खराजपुर व गाँव

सुखदेव महमदपुर राशन सप्लाई अटैच और मेरे भाई विक्रम कुमार के पास कुन्जपुरा राशन डिपो अटैच गोरव खन्ना कुन्जपुरा राशन डिपो, खाध्य एवं आपुर्ति विभाग हरियाणा, खण्ड कुन्जपुरा करनाल से राशन बाटने का सरकारी डिपो लिया हुआ है हमारे पास जो भी सरकारी राशन डिपो पर आता है हमारे द्वारा वह राशन, राशन कार्ड धार को के पीस मशीन पर अगूठा लगवाकर ऑनलाईन वितरण किया जाता है जितनी गेहूं कार्ड धारको को वितरण करते है सरकार हमे 200 रूपये प्रति किवन्टल के हिसाब से कमीशन जारी करती है दिनांक 29-4-2026 को करीब 11-50Am पर AFSO राजीव कुमार मेरे ऑफिस गाँव खराजपुर पर आता है और मुझे कहता है कि आपकी पत्नी रजनी शर्मा का राशन डिपो खराजपूर चैक करना है डिपो चैक कराने मेरे द्वारा AFSO राजीव कुमार को राशन डिपो पर ले जाकर अपनी पत्नी रजनी शर्मा की हाजरी मे, डिपो चैक करवाया गया । डिपो पर नियमानुसार सही कुछ ठीक पाया गया । AFSO राजीव कुमार द्वारा मुझे कहा जाता है मै तुम्हारे डिपो पर कमियां दिखाकर तुम्हारी पत्नी का डिपो कैन्सल करवा दुंगा और कहता है कि अगर आपको अपना डिपो चलाना है तो मुझे डिपो चैकिंग के पैसे बतौर रिश्वत और डिपो चलाने के लिये तुम्हे मुझे मथली के रूप मे रिश्वत देनी होगी। AFSO राजीव कुमार मुझे कहता है कि मैं इन्पैक्टर को तुमसे बात करने के लिये बोल दुगां तुम उसको मेरे चैकिंग के पैसे तथा मंथली दे देना, अन्यथा आपके डिपो को कैन्शल करवा दुंगा उसके बाद AFSO राजीव कुमार वहां से चला जाता है उसके उपरान्त दिनांक 01-05-2026 को लगभग 12 दोपहर को मेरे भाई विक्रम कुमार कुन्जपुरा के राशन डिपो पर AFSO राजीव कुमार अपने साथ PDS इन्चार्ज मनोज कुमार को साथ लेकर आता है मैं भी वहां मौके पर था। उनके द्वारा मेरे भाई विक्रम कुमार का कुन्जपुरा राशन डिपो को चैक किया जाता है । सब कुछ ठीक पाये जाने पर, AFSO राजीव कुमार मुझे कहता है कि मैने तुमको जो कहा था वह मेरी चैकिंग फिस तथा डिपो की मंथली की बात तुम PDS इन्चार्ज मनोज कुमार से कर लेना। अब तुम्हारे राशन डिपो का ईन्चार्ज मनोज कुमार है । फिर यह बात कहकर, वो दोनो हमारे राशन डिपो से चले जाते है। फिर दिनांक 09-05-2026 को सुबह राशन के ग्रुप मे मैसेज आता है कि सभी डिपो होल्डर को कुन्जपुरा फुड एन्ड सप्लाई मे पहुँचना है। दिनांक 09-05-2026 को दोपहर के समय, मै अपने भाई विक्रम कुमार के साथ कार्यालय कुन्जपुरा फुड एन्ड सप्लाई मे पहुँचा । जहा पर मुझे PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार द्वारा माह अप्रैल 2026 मे हमारे डिपो के द्वारा वितरण किये गये राशन पर 10 रूपये प्रति किवंटल के हिसाब से रिश्वत के तौर पर मांगे गये, जिसकी राशि लगभग 10000 रूपये बनती है, क्योकि हमारे द्वारा माह अप्रैल के लगभग 1000 किवन्टल गेहू का वितरण किया गया था जो सरकार द्वारा यह राशन दो माह अप्रैल व मई माह का ईक्कट्ठा वितरण करवाया गया था । इसके अतिरिक्त मेरे से PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार द्वारा 4000/- रूपये बतौर रिश्वत AFSO चैंकिग प्रति डिपो मांगे गये और मुझे कहा गया कि AFSO को चैंकिग के पैसे आधे तुम दिया करो और आधे पैसे मै अपनी मन्थली से AFSO को दे दिया करूंगा फिर इसी दौरान मेरे द्वारा PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार से पुछा जाता है कि मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे, जिस पर मनोज कुमार द्वारा 10,002 रूपये बनाकर मुझे दिखा देता है । जिसकी मैं अपने मोबाईल मे फोटो भी ले लेता हूँ। फिर दिनांक 11-05-2026 को शाम के समय करिब 6.00PM के आस पास दोबारा से PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार कुन्जपुरा मे आया और मुझे बुलाया गया और मुझसे अप्रैल माह मे वितरण किये गये राशन पर 10 रूपये प्रति किवंटल के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई। मुझे आज PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार ने रिश्वत के पैसे लेकर कुन्जपुरा फुड सप्लाई कार्यालय मे मिटिंग के बहाने से बुलाया है। मै PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार तथा AFSO राजीव कुमार को रिश्वत के पैसे नही देना चाहता हूँ। यदि मै PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार तथा AFSO राजीव कुमार को रिश्वत के पैसे नही दुंगा, तो वह मेरी पत्नी रजनी शर्मा तथा मेरे भाई विक्रम के राशन डिपो को चलने नही देंगे। PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार तथा AFSO राजीव कुमार को 15,000/- रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मैने PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार की रिश्वत सम्बन्धित बातचित अपने मोबाईल फोन तथा रिकोर्डिंग डिवाईस मे की हुई है । मैने अपनी शिकायत के साथ 500-500 रूपये के 30 नोट, मुताबिक 15,000/- रूपये आपको दे दिये है । PDS ईन्चार्ज मनोज कुमार तथा AFSO राजीव कुमार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये । Sd Vikash Sharma विकास शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी गाँव खराजपुर, थाना कुन्जपुरा जिला करनाल मो.न. 9050001905, 9812984129

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 12.05.2026 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान के कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में मौजूद हूँ कि उच्च अधिकारीगण द्वारा टोल फ्री शिकायत नम्बर 07/Toll Free/SVACB(H) दिनांक 12.05.2026 के सम्बन्ध मे भ्रष्टाचार उन्मुलन अधिनियम के तहत रेड की कार्यवाही करने बारे आदेश दिये गये । मन निरीक्षक द्वारा शिकायतकर्ता विकास शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी गांव खराजपुर, थाना कुन्जपुरा, जिला करनाल के मोबाईल नम्बर 98129-89129 पर सम्पर्क करके, रेड कार्यवाही के लिए कार्यालय राज्य

सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र में हाजीर आने बारे सूचित किया गया। इसके उपरान्त शिकायतकर्ता विकास शर्मा उपरोक्त हाजीर कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र हाजीर आया। जिसने अपना नाम विकास शर्मा पुत्र श्री कृष्ण शर्मा निवासी गांव खराजपुर, थाना कुन्जपुरा, जिला करनाल बतलाया। शिकायतकर्ता ने एक स्वंय की हस्तलिखित शिकायत मन निरीक्षक को पेश की, मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पुछताछ की और रिकार्डिंग रिश्वत लेन-देन सम्बन्धित बातचीत को सुनने उपरान्त, सन्तुष्ट होने पर, मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500/- रुपये के 30 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 15,000/- रुपये मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता विकास शर्मा उपरोक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के उचित आदेश, आदेश क्रमांक 1183/रा.स. एवम भ्र.नि.ब्यू. (अम्बाला) दिनांक 12.05.2026 व्हटसअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरान्त मन निरीक्षक द्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक निदेशक, जिला एम.एस.एम. ई. केन्द्र कुरुक्षेत्र से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र पर हाजिर आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबून से PDS इन्चार्ज मनोज कुमार तथा AFSO राजीव कुमार के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 1988 व 308(2) BNS का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय स.उ.नि. राजीव कुमार न. 1229/कुरुक्षेत्र, स.उ.नि. राजीव न. 243/अम्बाला, स.उ.नि. राजीव कुमार न. 427/ यमुनानगर, महिला मु.सि. सुदेश रानी न. 297/कैथल बा सवारी गाडी सरकारी न. HR-03GV-7947 जिसका चालक स.उ.नि. कैलाश न. 994/कैथल व प्राईवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त महिला मु.सि. सुदेश रानी न. 297/कैथल के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करनाल मण्डल करनाल भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग सख्या, अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट करनाल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए। मन निरीक्षक नियमानुसार रेडिग कार्यवाही में व्यस्त होती हूं। अज- कार्यालय राज्य सतर्कता एवम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र । Sd/- Nanhi Devi निरीक्षक, रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो, उपकेन्द्र कुरुक्षेत्र । दिनांक 12.05.2026 समयः 13.35PM

अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 05 दिनांक 12.05.2026 धारा 7 PC Act, 1988, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयुटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा डयूटी मैजिस्ट्रैट साहब करनाल को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा मुख्य सिपाही सुदेश न0 258/कैथल के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक हेमराज न0 497/PPT थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** ARVIND KUMAR **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 83AMB **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Hemraj

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 497 PPT

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.